सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{19 फाल्गुन, 1946 (शo)}}{\text{10 मार्च, 2025 (ईo)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 106

(1) गृह विभाग	..	..	..	58
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	..	14
(3) वित्त विभाग	..	..	..	12
(4) उद्योग विभाग	..	..	..	08
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	..	07
(6) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	..	03
(7) निर्वाचन विभाग	..	..	..	04
			कुल योग --	106

बैंक की शाखा खोलना

*557. श्री संजीव कुमार (परबत्ता)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड में जोरावरपुर पंचायत के नयागाँव, कोलवारा ग्राम पंचायत सहित गोगरी प्रखंड के देवठा में सरकारी बैंक की शाखा नहीं होने से आमजनों को अपने पंचायत से 6 किलो मीटर दूर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, जिस कारण खासकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर बैंक की शाखा खोलने से आमजनों सहित व्यापारियों को सहूलियत होगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*558. श्री रामबली सिंह यादव (घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के काको प्रखंड अन्तर्गत सैदाबाद गाँव में कब्रिस्तान (खाता नं0-622/530, प्लॉट नं0-1148/4465) की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शहरी भत्ता एवं मकान भत्ता देना

*559. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पटना जिले में पदस्थापित राज्य कर्मियों/पदाधिकारियों एवं आदेशपालकों को शहरी भत्ता व अन्य सुविधाओं के साथ मकान भत्ता 20 प्रतिशत मिलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिले के खगौल थाना, फुलवारीशरीफ थाना व दानापुर थाना अन्तर्गत कार्यरत पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को ना ही शहरी भत्ता मिलता है ना ही मकान भत्ता बल्कि उन्हें देहाती क्षेत्र का 7.5 प्रतिशत (साढ़े सात प्रतिशत) भत्ता ही मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिले के राज्य कर्मियों/पदाधिकारियों एवं आदेशपालकों की तरह उक्त थानों के पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को भी समान शहरी भत्ता एवं मकान भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विशेष भत्ता, अतिरिक्त अवकाश एवं आवंटन उपलब्ध कराना

*560. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में मतदाता सूची के सतत् अद्यतीकरण का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) के रूप में मतदान स्तरीय कर्मी (BLO) के सहयोग से कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों और समय-सीमा के अनुसार यह कार्य सम्पादित कराया जाता है एवं इस कार्य हेतु मतदान स्तरीय कर्मियों को विशेष मानदेय आवंटित किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) के लिये विशेष भत्ता, अतिरिक्त अवकाश और कार्यालय संचालन के लिये आवंटन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करना

*561. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत जनेरवा पंचायत के ग्राम-जनेरवा में मदरसा मकासिदुल उलुम, जनेरवा को वर्ष 1969 में राजकीयकृत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसे में उच्च शिक्षा (आलिम) की पढ़ाई होती है, परन्तु साइंस लैब एवं कम्प्यूटर लैब उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त मदरसे में शिक्षण ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसे में दोनों लैब की व्यवस्था कराते हुये बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*562. श्रीमती कविता देवी (कोरहा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखंड में कोलासी थाना लंबे समय से ओ0पी0 के रूप में संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ0पी0 थाना का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोलासी ओ0पी0 को थाना का दर्जा देते हुये नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्यमियों एवं कामगार की सुविधा

*563. श्री विजय कुमार खेमका (पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया एवं पूर्णियाँ सिटी में बैंक, डाकघर, स्वास्थ्य केन्द्र एवं कैंटीन का भवन नहीं रहने के कारण कामगारों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्णियाँ के बियाडा मरंगा एवं सिटी के उद्यमियों एवं कामगार की सुविधा हेतु उक्त मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*564. श्री अमर कुमार पासवान (बोचहां)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के समाहरणालय परिसर, मुजफ्फरपुर शहर के पश्चिमी छोर पर है जहाँ पूर्वी अनुमंडल सहित सभी सरकारी कार्यालय न्यायालय और शहर तथा अवस्थित रहने से भयंकर जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनुमंडल कार्यालय मुजफ्फरपुर पूर्वी को अंचल मुशहरी परिसर में स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसों का निर्माण

*565. श्री अखतरूल ईमान (अमौर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत राज्य के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त मदरसों का आधारभूत संचरना का विकास कराना लक्ष्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा के एक भी सरकारी मदरसों का चयन इस योजना के तहत नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त दोनों प्रखंडों के एक भी मदरसा का चयन बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा अनुदानित एवं सरकारी मदरसों में किया जाता है।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) पूर्णियाँ जिला के बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकीया, दिघौंच, बैसा एवं मरदसा रहमानियाँ, खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । निधि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना की स्वीकृति दी जा सकती है । अमौर प्रखंड से अबतक एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

सहायता राशि देना

*566. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने पाँच वर्षों में बिहार के करीब 95 लाख महागरीब परिवारों को जिनकी मासिक आय प्रतिमाह 6 हजार से कम है, उन्हें 2-2 लाख रुपये लघु उद्योगों व अन्य रोजगार के साधनों के लिये सहायता देने की घोषणा की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के आलोक में 2023-24 वित्तीय सत्र में बिहार के करीब 50 हजार गरीब परिवारों को ही यह सहायता राशि मिल सकी है, शेष 94 लाख से अधिक परिवारों को उक्त योजना से सहायता राशि नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 4 लाख से अधिक परिवारों को उक्त योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशतः स्वीकारात्मक है। बिहार लघु उद्यमी योजनान्तर्गत प्रति लाभुक स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में तीन किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलावार निर्धारित लक्ष्य 50 हजार था। जिसके विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित 40099 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में अबतक कुल 321 करोड़ 67 लाख रुपये अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार पाये गये हैं। गरीब परिवारों को आर्थिक उत्थान के लिये एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना वर्ष 2023-24 में लागू की गयी है।

बिहार लघु उद्यमी योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे आवेदक जिनके परिवार का मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है, को चरणबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चयन किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रखंड बनाने

*567. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (चिरैया)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड में शिकारगंज एक बड़ा बाजार है, जहां थाना, अस्पताल, बैंक, यातायात की सुविधा उपलब्ध है परन्तु यह प्रखंड मुख्यालय से 10 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिकारगंज बाजार प्रखंड बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिकारगंज बाजार को कबतक प्रखंड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि देना

*568. श्री आबिदुर रहमान (अररिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण फोकनियाँ मौलवी के 90 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 को अबतक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिसके कारण छात्र--छात्राओं को अग्रेतर पढ़ाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*569. श्री अजय यादव (अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड अतरी में ग्राम पंचायत जीरी के चहल मुरेड़ा पहाड़ के निकट कब्रिस्तान है, जिसका घेराबन्दी आजतक नहीं कराया गया है, जिसके कारण हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक में तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम की समस्या से निदान दिलाना

*570. श्री जितेंद्र कुमार (अस्थावां)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आये दिन पटना जिलान्तर्गत दीदारगंज टोल प्लाजा से पहाड़ी तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण आमजन एवं गणमान्य यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इस समस्या का निदान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*571. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (कुचायकोट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में आग लगने पर अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पंचदेवरी प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के 10 कि0मी0 की दूरी पर कटैया थाना में बड़ी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, जिससे पंचदेवरी प्रखंड में अग्निशमन का कार्य किया जाता है।

(3) उक्त के आलोक में पंचदेवरी प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

आदर्श थाने का निर्माण कराना

*572. श्री जय प्रकाश यादव (नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज थाना की चहारदीवारी अपूर्ण रहने के कारण असुरक्षा के साथ-साथ आवारा पशुओं के आवागमन से कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना परिसर में बना भवन क्षतिग्रस्त होकर सीपेज होते रहने से कर्मियों को कार्य संचालन के साथ-साथ रहने में भी असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नरपतगंज थाना परिसर की घेराबंदी के साथ-साथ पुराने भवन का पुन: निर्माण करवाते हुये आदर्श थाना निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर चहारदीवारी का निर्माण

*573. श्रीमती मंजु अग्रवाल (शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग (विशेष शाखा)के संकल्प ज्ञापांक 8778, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 के दिशा-निर्देश के अनुसार बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित मंदिरों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेरघाटी स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक दुल्हिन मंदिर में चहारदीवारी नहीं रहने से मंदिर परिसर पूरी तरह जर्जर हो चुकी है एवं मंदिर की सैकड़ों एकड़ जमीन देख-रेख के अभाव में अतिक्रमित हो चुकी है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मंदिर का सौन्दर्यीकरण, चहारदीवारी का निर्माण एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*574. श्री राजेश कुमार गुप्ता (सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के मौजा भदोखरा में अलावल खाँ के मकबरा के नजदीक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा नियमित कराना

*575. श्री शिव प्रकाश रंजन (अगिआंव)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि में संविदा पर बहाल कृषि समन्वयक, ए०एन०एम०, आयुष डॉक्टर आदि की सेवा नियमित करते हुये उन्हें वेतनमान का लाभ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक सहायक, आई०टी० सहायक एवं आई०टी० प्रबंधक विगत 14 वर्षों से लगातार अपनी सेवा बी०पी०एस०एम० के अधीन राज्य के विभिन्न कार्यालय में दे रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्यपालक सहायकों, आई०टी० सहायकों एवं आई०टी० प्रबंधकों की सेवा अन्य विभागों की भांति नियमित करते हुये उन्हें वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*576. <u>श्री ललित कुमार यादव (दरभंगा ग्रामीण)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नैनाघाट पंचायत के आमी कब्रिस्तान एवं ब्रह्मपुर पंचायत के ब्रह्मपुर (सकरी स्टेशन के पास) कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*577. <u>श्री मुरारी मोहन झा (केवटी)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मधोपट्टी स्टेट हाईवे लंगड़ा मोड़ के पास आये दिन चोरी, छिना झपटी एवं मर्डर जैसी घटना होते रहती है, यहां से कमतौल थाना की दूरी 15 किलो मीटर एवं केवटी थाना का दूरी 20 किलो मीटर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मोड़ के पास पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*578. <u>श्री विद्या सागर केशरी (फारबिसगंज)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के आदर्श थाना फारबिसगंज में चहारदीवारी एवं सार्वजनिक शौचालय के अभाव में आमजन सहित पुलिस कर्मी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना परिसर के चहारदीवारी एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*579. <u>श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में होमगार्ड की भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 02/2011 सभी जिलों में रिक्त पदों के आलोक में निकाला गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में गया जिले से सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन किये थे, जिसमें से दर्जनों अभ्यर्थी ने सफलता हासिल की, परंतु उक्त परीक्षा में सफल हुये अभ्यर्थियों की अबतक नियुक्ति नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विज्ञापन संख्या-02/2011 के आलोक में गया जिला के सफल होमगार्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*580. श्री रणविजय साहू (मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के चकपहाड़ पंचायत के वार्ड नं० 3 में कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसका खाता पुराना-72, नया-203 तथा खेसरा-पुराना 11, नया-22 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से आवारा पशुओं तथा असामाजिक तत्वों का कब्रिस्तान में प्रवेश होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*581. श्री रामानुज प्रसाद (सोनपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल मुख्यालय में शवों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पोस्टमार्टम हेतु 55 कि०मी० दूर छपरा जाना पड़ता है, जिससे प्रशासन के साथ-साथ आम जनता को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोनपुर अनुमंडल मुख्यालय में एक पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*582. श्रीमती गायत्री देवी (परिहार)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत विशनपुर आधार पंचायत के अररिया ग्राम की जनसंख्या 15 हजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में अररिया ग्राम में कोई सरकारी बैंक की शाखा नहीं है, जिस कारण जनता को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में सरकारी बैंक की शाखा खोलने का विचार विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । आबादी 2916 (2011 के जनगणना के अनुसार) है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । अररिया गांव में बैंक की शाखा अवस्थित नहीं है, लेकिन अररिया गांव से एक किलो मीटर की दूरी अररिया चौक पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत है । गांव से 1.5 किलो मीटर की दूरी पर स्थित विशनपुर आधार पंचायत में जीविका दीदी बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र से बैंकिंग सेवा प्रदान कर रही है ।

(3) बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार है । मूलत: बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

उद्योग विकसित कराना

*583. श्री अरूण सिंह (काराकाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डालमिया नगर में बहुचर्चित एशिया स्तर पर उद्योग पुंज चल रहा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उद्योग वर्षों पहले बंद हो चुका है, परंतु वहाँ रेल मार्ग, सड़क, आवास, सीवर लाइन, बिजली एवं मार्केट कम्प्लेक्स सहित सारी सुविधाएँ पर्याप्त रूप से अभी भी अवस्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल को अधिग्रहित करते हुए उद्योग विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*584. श्री अचमित ऋषिदेव (रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बौसी के राजस्व मौजा बौसी में सड़क के दोनों ओर कब्रिस्तान की जमीन है, जिसका खाता नं0 515, खेसरा नं0 3866, रकबा 1 एकड़ 37 डिसमिल, खेसरा नं0 3878, रकबा 84 डिसमिल, खेसरा नं0 3940, रकबा 1 एकड़ खेसरा नं0 3941, रकबा 76 डिसमिल, खेसरा नं0 3942, रकबा 24 डिसमिल, खेसरा नं0 3943, रकबा 75 डिसमिल कुल रकबा 4 एकड़ 96 डिसमिल है जिसकी घेराबंदी अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*585. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (बैकुंठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर प्रखंड के बांसघाट मंसूरिया एवं कतालपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण किया जा रहा है एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ

*586. श्री सत्यदेव राम (दरौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत चौकीदार/दफादार की सेवा का 34 वर्ष बीत जाने के बाद भी ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० का लाभ नहीं दी गई है तथा उच्चतर पद पर पदस्थापन भी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक 11190, दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के द्वारा विशेष अभियान चलाकर चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का अनुमान्य लाभ देने का निर्देश निर्गत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चौकीदार/दफादार को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*587. श्री नेहालउद्दीन (रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत प्रखंड फतुहा के ग्राम-गोविंदपुर इमली तल में वक्फ बोर्ड की भूमि पर निर्मित मदरसा, इमामबाड़ा, मस्जिद एवं कब्रिस्तान की भूमि है जिसका खाता नं0 128 एवं 130 खेसरा नं0 199, 219 एवं 217 कुल रकबा क्रमश: 2 डिसमिल, 12 डिसमिल एवं 21 (35 डिसमिल) थाना नं0 16 है, जिसका असामाजिक तत्वों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि यह जमीन दरगाह वक्फ बोर्ड स्टेट नं0 BRPT0969 बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड से 29 जुलाई, 1959 से रजिस्टर्ड है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि पर किए गए अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनवाकर दोषियों पर कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*588. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बात सही है कि मलबरी धागे की कीमत में 300 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी तथा स्टेपल धागे में 15 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के कारण सिल्क सिटी भागलपुर के बुनकरों का धंधा बंद होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बुनकरों को बढ़ी कीमतों की भरपाई अनुदान के रूप में करते हुए सिल्क उद्योग को जीवित रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि रेशम वस्त्र उद्योग हेतु कच्चा माल आपूर्ति के लिए अनुदान की योजना राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसके तहत धागा की कीमत पर 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, साथ ही फैक्ट्री से बुनकर इकाई तक धागा को पहुँचाने में किए गए परिवहन-व्यय की प्रतिपूर्ति पर भी अनुदान की व्यवस्था की गई है।

बिहार सरकार द्वारा भी समय-समय पर बुनकरों को कार्यशील पूंजी के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से मिलने वाले लाभ की सूचना भी बुनकरों को प्रदान की जाती है ।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बुनकरों को प्रति मीटर बुनाई की दर पारिश्रमिक निर्धारण करने की योजना प्रक्रियाधीन है इससे उन्हें उचित पारिश्रमिक प्राप्त होने में सुविधा होगी।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा BLC (Block Level Cluster) Cluster एवं NHDP (National Handloom Development Programme के अंतर्गत Cluster Development Programme अंतर्गत बुनकरों को अनुदान के तौर पर हस्तकरघा, हस्तकरघा उपस्कर एवं कर्मशाला उपलब्ध करवाया जाता है।

भवन का निर्माण

*589. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी टाउन थाना आज भी खपरैल भवन में अवस्थित रहने के कारण बिल्कुल असुरक्षित स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आधुनिक संचार एवं सुविधाओं के साथ मधुबनी थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मांग पूरी करना

*590. श्री आलोक रंजन (सहरसा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार गृह रक्षकों के द्वारा अपने वेतन बढ़ोतरी, वर्दी भत्ता, मातृत्व अवकाश, 2 माह तक इलाजरत रहने के अवधि का वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार गृह रक्षकों के धरना के बाद सरकार के स्तर से आवश्यक आश्वासन भी दिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार के स्तर पर आश्वासन मिलने के बाद आजतक इनलोगों के मांगों पर अभीतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार गृह रक्षकों का मांग पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान के घेराबन्दी के सम्बन्ध में

*591. श्री सिद्धार्थ सौरव (बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड स्थित पंचायत-अदला, ग्राम-कालापुर (खाता नं0-148, खेसरा नं0-234) में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऊपर वर्णित कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना

*592. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज, टेढ़ागाछ एवं दिघलबैंक प्रखंडों में मक्के का रिकार्ड उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिले में मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किशनगंज जिले के उक्त प्रखंडों में मक्का के रिकार्ड उत्पादन को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थित यह है कि बिहार में किशनगंज जिला मक्के के उत्पादन में शीर्ष जिलों में स्थान रखता है।

(2) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में किशनगंज जिले में औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों से आच्छादित मक्का आधारित वृहत इकाई मेसर्स रिगल रिसोर्स है, जो मक्का आधारित स्टार्च एवं उससे संबंधित उत्पाद का निर्माण करती है। यह इकाई गलगलीया प्रखण्ड-ठाकुरगंज, किशनगंज में कार्यरत है।

एक अन्य खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की वृहत इकाई मेसर्स अनमोल इन्डस्ट्रीज है, जो किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में कार्यरत है।

(3) राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति में निहित प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू है एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में अनुदान दिया जाता है।

इसके अलावा किशनगंज जिले में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कुल 06 इकाइयाँ कार्यरत है तथा 16 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस एवं 11 इकाइयों को स्टेज-1 क्लियरेंस प्राप्त है ।

वेतन भुगतान कराना

*593. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में राज्य के लगभग सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लिखित एवं टाइपिंग परीक्षा के उपरांत कार्यपालक सहायक का पैनल तैयार किया गया जिसमें से आधे अभ्यर्थियों का नियोजन संविदात्मक पद (कार्यपालक सहायक) पर किया गया, जबकि शेष 2131 अभ्यर्थियों का नियोजन बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा के बाद हुआ ;

(2) क्या यह बात सही है कि BPSM के पत्रांक 400, दिनांक 23 फरवरी, 2021 के अनुसार अनियोजित कार्यपालक सहायकों का बेल्ट्रॉन से वेतन भुगतान का निर्णय लेने के बावजूद उन्हें उर्मिला कंपनी द्वारा वेतन भुगतान कराया जा रहा है, जो विज्ञापन और विभाग के निर्णय का उल्लंघन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मूल विज्ञापन के अनुसार कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के बजाय विभागीय वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*594. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा प्रखण्ड के ग्राम-कबीरपुर मौजे दर्जी मुहल्ले कब्रिस्तान तथा बढ़गाँव ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशु घुमते रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*595. श्री मनोज कुमार यादव (कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल-कल्याणपुर में बाड़ा कब्रिस्तान बाकरपुर में कुछ अवशेष भाग में चहारदीवारी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान में अतिक्रमण हो रहा है जिस कारण आपसी तनाव व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमितीकरण कराना

*596. श्री महा नंद सिंह (अरवल)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 द्वारा सभी संविदा कर्मियों के लिये मानदेय बढ़ोतरी, ई०पी०एफ० तथा नियमितीकरण हेतु प्रावधान किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सचिवालय से लेकर प्रखंड तक कार्यालयों में संविदा के आधार पर आशुलिपिक, चालक, कार्यालय परिचारी पदों पर कर्मी कार्य कर रहे हैं एवं उनका मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविदा कर्मियों के मानदेय में ई०पी०एफ० अंशदान का जिक्र तथा इनका नियमितीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल को पुनः चालू कराना

*597. श्रीमती मीना कुमारी (बाबूबरही)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लोहट, रैयाम और सकरी में चीनी मिल वर्ष 1995 से बंद पड़ा है जिससे उक्त मिल में कार्यरत परिवार बेरोजगार हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल बिहार सरकार के चीनी मिल निगम के द्वारा संचालित होता था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े चीनी मिल को पुनः चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मधुबनी जिलान्तर्गत लोहट-1996-97, रैयाम-1993-94 और सकरी-1996-97 से उत्पादन का कार्य बंद है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य चीनी निगम के बंद पड़ी चीनी इकाइयों को गन्ना आधारित उद्योग या अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित कराने हेतु बिहार राज्य चीनी निगम के नियंत्रणाधीन बंद चीनी मिलों को क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों एवं मजूदरों के हित में एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी/सार्वजनिक/सहकारिता क्षेत्र के निवेशकों को निर्धारित लंबी अवधि की लीज पर हस्तांतरित करते हुये गन्ना आधारित उद्योग या अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित कराने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय के आलोक में वित्तीय सलाहकार SBI Caps के माध्यम से पाँच निविदा प्रक्रियायें सम्पन्न हुई है । उक्त पाँचों निविदा प्रक्रिया में लोहट चीनी मिल को पुनर्जीवित करने हेतु कोई भी निवेशक सफल नहीं हो सके । सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम लि० की

इकाई-लोहट (213 एकड़ भूमि) को विभागीय अधिसूचना पत्रांक 671, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित किया गया है ।

द्वितीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सकरी एवं रैयाम हेतु निवेशक के रूप में मेसर्स तिरहुत इन्डस्ट्रीज लि० सफल हुये एवं लीज डीड हस्ताक्षरित किया गया । परन्तु लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण मेसर्स तिरहुत इन्डस्ट्रीज लि० से किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया ।

सकरी एवं रैयाम चीनी मिल वर्तमान में बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड/गन्ना उद्योग विभाग के अधीन है । उक्त बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई, सकरी एवं रैयाम की परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हेतु वित्तीय सलाहकार एस०बी०आई० कैप्स (SBI Caps) कोलकाता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) उपरोक्त खंड (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*598. श्री गोपाल रविदास (फुलवारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत अंचल दुल्हिन बाजार ग्राम-पीढ़ी में खाता सं०-363, खेसरा सं०-596, रकबा-2 एकड़, 86 डिसमिल, जो पीर के मजार की जमीन है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग जमीन के आधे हिस्से पर पीर के मजार पर चादर चढ़ाते हैं, तथा शेष जमीन पर मृतकों के पार्थिव शरीर को दफन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुछ दबंग प्रवृति के लोग आये दिन उक्त जमीन पर दखल-कब्जा कर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीर के मजार और कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*599. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सराय प्रखंड के एकंगरसराय थाना भवन एवं तेलहाड़ा थाना भवन से मण्डाछ पंचायत की दूरी 11 कि०मी० से अधिक है जिसके कारण पुलिस को रात्रि गश्ती करने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर पुलिस को पहुँचने में देरी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मण्डाछ पंचायत के मण्डाछ गाँव में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा-2 इस्लामपुर पुलिस अनुमंडल अन्तर्गत मण्डाछ पंचायत की दूरी एकंगरसराय थाना एवं तेलहाड़ा थाना से लगभग 11 कि०मी० है । तेलहाड़ा थाना द्वारा मण्डाछ पंचायत में लगातार दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्ती तथा डायल-112 के दौरान सतत् निगरानी रखी जाती है । तेलहाड़ा थानान्तर्गत कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है ।

(3) उक्त के आलोक में मण्डाछ पंचायत में पुलिस चौकी खोलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

उद्योग स्थापित कराना

*600. श्री नरेंद्र कुमार नीरज (गोपालपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बातलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया एवं आस-पास की हजारों हेक्टेयर भूमि में केला एवं मक्का की काफी उपज होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में इन फसलों पर आधारित एक भी उद्योग स्थापित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नवगछिया प्रखंड में एन०एच० 31 की समीप केला प्रसंस्करण एवं मक्का प्रसंस्करण अथवा ग्रेन इथेनॉल से संबंधित उद्योग कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की चहारदीवारी

*601. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत टनकुप्पा प्रखंड के ग्राम पंचायत गजाधरपुर के ग्राम-देवशरणा स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण उक्त कब्रिस्तान अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की शरणस्थली बनते जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

प्रक्रिया सुगम बनाना

*602. श्री राम सूरत कुमार (औराई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शस्त्र लाइसेंस अपने ही वैध उतराधिकारी के नाम पर हस्तांतरण नहीं होता है, लाइसेंसधारी के मरणोपरांत शस्त्र मालखाना में जमा करना पड़ता है और उनके पीढ़ी को शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए एक लंबी नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उनके ही पीढ़ी को अपने शस्त्र लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी करने से पहले शस्त्र मालखाना में ही रखा-रखा क्षतिग्रस्त (नष्ट) हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शस्त्र हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए उनके पीढ़ी को शस्त्र हस्तानान्तरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

अपराधियों की गिरफ्तारी

*603. श्री अजय कुमार (बिभूतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के बिभूतिपुर थाना में केस नं0 203/24, दिनांक 30 जून, 2024 दर्ज है जिसमें अज्ञात अपराधियों ने फिनो पेमेन्ट बैंक सी०एस०पी० को लूटकर दो लोगों की हत्या कर दिये जाने का जिक्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस की उदासीनता के कारण अभीतक न तो केस का उद्भेदन हो सका है और ना ही उक्त दोहरे हत्याकांड के 25000 रु0 के इनामी अपराधी अबतक गिरफ्तार हुए है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त केस का उद्भेदन कर अपराधियों को कबतक गिरफ्तार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*604. श्री अनिल कुमार (बथनाहा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बातलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के क्षेत्र को गृह विभाग द्वारा दो अलग-अलग क्षेत्र में विभाजित किया गया है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 का मुख्यालय बथनाहा को बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के लिए अबतक कोई स्थायी कार्यालय नहीं बनाया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के लिए स्थायी कार्यालय भवन निर्माण का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*605. श्री राम विशुन सिंह (जगदीशपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र में पीरो से जगदीशपुर की दूरी 25 कि0मी0 एवं जगदीशपुर से आरा की दूरी 30 कि0मी0 है। इन दोनों के बीच कोई भी पुलिस स्टेशन/ओ0पी0 नहीं है, जिसके कारण आपराधिक घटनाएं घटित होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक एस0 एच0 102 पर जितौरा एवं एन0एच0 319 पर हरिगाँव में ओ0 पी0 बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*606. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में ओ0 पी0 थाना, धनपुरा का अपना भवन नहीं रहने के कारण कार्य संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ओ0पी0 थाना का अपना भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*607. श्री अशोक कुमार सिंह (रामगढ, कैमूर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ विधान सभा अन्तर्गत ग्राम-बरौरा स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अधूरा किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-बरौरा में शेष बचे हुए कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कुम्हार जाति को अनु० जाति का दर्जा

*608. श्री इसराईल मंसुरी (कांटी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कुम्हार (प्रजापति) जाति जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी है, अनुसूचित जाति की सभी अर्हता को पूरा करती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी०खोलना

*609. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के डिहरा ग्राम पंचायत से ओबरा थाना की दूरी 15 कि0मी0 है जिसके कारण विधि व्यवस्था संधारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार डिहरा में ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधियों की गिरफ्तारी

*610. श्री फते बहादुर सिंह (डेहरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत अकोढ़ीगोला थाना निवासी श्री हेमन्त सिंह का पुत्र श्री नन्द किशोर कुमार उर्फ छोटी को दिनांक 12 अगस्त, 2023 को अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त हत्याकाण्ड के विरुद्ध अकोढ़ीगोला थाना में केस नं0-154/23, दिनांक 13 अगस्त, 2023 द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया है, लेकिन उक्त हत्याकाण्ड में पुलिस के शिथिल रवैये के कारण अभीतक कोई अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने के साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की स्वीकृति

*611. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री रंजीत कुमार साहू, पिता-स्व0 देवनारायण प्रसाद साहू, ग्राम + पोस्ट-साहू परबत्ता, थाना-परबत्ता, जिला-भागलपुर जे0पी0 आन्दोलन में कैंट थाना अयोध्या (फैजाबाद), उ0प्र0अ0स0-317/1975 और अ0स0-318/1975 में 11 नवम्बर, 1975 को गिरफ्तार कर जिला कारागार अयोध्या (फैजाबाद) में निरुद्ध किये गये थे और 51 दिनों के बाद 5 जनवरी, 1976 को जमानत पर मुक्त हुये थे, यदि हाँ, तो सरकार गृह (विशेष) विभाग के संकल्प संख्या 524, दिनांक 15 जुलाई, 2015 की कंडिका ख, ग, घ, ड., च एवं छ में जे0 पी0 सेनानी को सन्निहित सुविधाएँ उपलब्ध कराने के सरकारी निर्णय के अनुसार कबतक इन्हें जे0पी0 सेनानी सम्मान योजनान्तर्गत पेंशन आदि की स्वीकृति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खुलवाना

*612. श्री उमाकांत सिंह (चनपटिया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत चनपटिया प्रखंड के चुहड़ी बाजार में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं होने के कारण स्थानीय व्यवसायियों के साथ-साथ आमजनों को बैंक संबंधित कार्यों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चुहड़ी बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साइबर थाने के संबंध में

*613. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के हर जिलों के साइबर थानों में हर माह लगभग 250 केस होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि साइबर थानों में कर्मियों, पदाधिकारियों, तकनीकी एक्सपर्ट के अभाव के कारण साइबर ठगों द्वारा निकासी किये गये करोड़ों रुपये की राशि पर न तो होल्ड लगाया जा रहा है न ही पीड़ितों को उनके खाते में धन राशि वापस आ रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अकेले पटना साइबर थाने में एक इंस्पेक्टर पर 250 एवं ए0एस0आई0 पर 100 केस का बोझ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साइबर थानों में पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति एवं आधुनिकतम तकनीक उपलब्ध कराते हुये राशि वापस कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

कार्रवाई करना

*614. श्रीमती शालिनी मिश्रा (केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय लक्ष्य 2660.00 लाख रुपये के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि 350.79 लाख रुपया मात्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आधार बीज उत्पादन प्रोत्साहन राशि खर्च करने का वित्तीय लक्ष्य 210.00 लाख रुपया के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि 0.00, प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम पर खर्च का वित्तीय लक्ष्य 310.00 लाख रुपये के विरुद्ध, वित्तीय उपलब्धि 0.52 लाख रुपया, अंतरवर्ती खेती करने हेतु वित्तीय लक्ष्य 24.00 लाख रुपया के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि 0.00 गन्ना के साथ मसूर, राई, सरसों की अन्तरवर्ती खेती पर वित्तीय लक्ष्य 19.92 लाख के विरुद्ध 1.20 लाख, कार्बनिक उर्वरक कम्पोस्ट के क्रय पर अनुदान का लक्ष्य 265.85 लाख रुपया के विरुद्ध अबतक वित्तीय उपलब्धि मात्र 9.97 लाख रुपया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध अबतक राशि खर्च नहीं होने का क्या औचित्य है ?

जिला का दर्जा देना

*615. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमंडल से कटिहार जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलो मीटर है जिसके कारण उक्त अनुमंडल क्षेत्र की आबादी को जिला मुख्यालय में कार्यों का निष्पादन कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायक थाना स्थापित करना

*616. श्री सूर्यकान्त पासवान (बखरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र, बखरी में चोरी की घटनाएँ आम हो गई है पिछले एक वर्ष में 10 से अधिक व्यापारियों के दुकान का दरवाजा काट कर चोरी हो चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बखरी थाना बाजार से बाहर होने के कारण आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम है, जिससे व्यापारियों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बखरी बाजार में सहायक थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लंबित मुकदमों का निष्पादन कराना

*617. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (नबीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 05 फरवरी, 2025 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "पांच लाख से अधिक कांड लंबित" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भ्रष्टाचारी लोक सेवकों सहित विभिन मामले जिनकी संख्या पांच लाख से अधिक है, अभियोजन की मंजूरी की प्रत्याशा में विगत 3 वर्षों से 10 वर्षों तक की अवधि से लम्बित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि काण्डों के लम्बित होने के कारण भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और उन्हें रियायत मिल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 5 लाख से अधिक मुकदमों के अभियोजन स्तर पर लम्बित होने का क्या औचित्य है ?

भवन निर्माण कराना

*618. श्रीमती भागीरथी देवी (रामनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत पुलिस जिला बगहा के प्रखण्ड रामनगर अंतर्गत अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का अपना भवन नहीं है, कार्यालय किराये के मकान में चलता है, तो क्या सरकार अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का अपना कार्यालय कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*619. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत एस० डी० पी० ओ० सदर छपरा-2 (एकमा) का कार्यालय एवं आवासीय भवन नहीं है जिस कारण पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्य के निष्पादन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त भवनों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*620. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को स्थानीय समाचार-पत्र में छपी खबर शीर्षक, "2009 व 2011 की वैकेंसी, अब होगी बहाली 55 वर्ष की उम्र में दौड़-कूद लगायेंगे अभ्यर्थी" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत होमगार्ड बहाली के 508 पदों के लिए 15 वर्ष पहले 8324 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था जिसमें आवेदक की उम्र न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित थी एवं उक्त बहाली को अब सितम्बर 2024 में किया गया है, अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होने से मात्र 115 अभ्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं एवं आज भी 393 पद रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा 15 वर्ष पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2024 में बहाली की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*621. श्री पवन कुमार यादव (कहलगाँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत अशरफ नगर कब्रिस्तान के कब्रों में दफन मुर्दों के सिर (नरमुंडों) की चोरी करने की घटनाओं से इलाके में सनसनी फैली हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान परिसर खुला रहने के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*622. श्री प्रमोद कुमार (मोतिहारी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्व0 पप्पु कुमार उर्फ तारकेश्वर पंडित की निर्मम हत्या दिनांक 04 अप्रील, 2024 को नौरंगियाँ, थाना-लखौरा, मोतिहारी में की गयी है, जिस संबंध में लखौरा थाना में कांड सं0-17/24 दर्ज हुआ है, परन्तु नामजद प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में लखौरा थाना कांड सं0-211/23, 229/22, 319/22, 481/23, 390/23, 847/22, 829/24, 319/22, 155/21, 223/23 दर्ज है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य

*623. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा प्रखंड के ग्राम पंचायत गगरी में खाता नं0-18, 17, 14, 10 एवं खेसरा-1310, 1313, 1312, 1311 तथा रकबा-5, 03, 03, 03 में कुल 14 डी0 जमीन पर कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, जबकि यह कब्रिस्तान हिन्दू बाहुल्य इलाके में पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक-435/2024, दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी से संबंधित पत्र जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को देने के बावजूद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को घेराबंदी का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलवाना

*624. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड के लकड़ी नवीगंज बाजार में एवं मदारपुर बाजार में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, दोनों स्थलों पर एक ग्रामीण बैंक की शाखा होने के कारण बैंक पर काफी दबाव रहता है, जिसके कारण स्थानीय व्यावसायियों, सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आमजनों को लेन-देन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों स्थलों पर कबतक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना

*625. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत पकड़िया पंचायत के ग्राम-सेमरहिया में मदरसा मिसबाहुल उलूम म० नं०-75 का वर्ष 1969 में सरकारीकरण का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा में शिक्षण ग्रहण करने वाले बच्चों को साइंस लैब एवं कम्प्यूटर लैब नहीं रहने के कारण आधुनिक सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसा में दोनों लैब की व्यवस्था कराते हुये बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना/टी०ओ०पी० स्थापित करना

*626. श्री विजय कुमार खेमका (पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम के डी०ए०वी० चौक से मधुबनी थाना तथा ईस्ट ब्लॉक के महेन्द्रपुर से मुफस्सिल थाना की दूरी काफी ज्यादा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर निगम अंतर्गत डी०ए०वी० चौक के आसपास 4-5 वार्ड की आबादी लगभग तीस हजार तथा महेन्द्रपुर चौक से पाँच पंचायत की आबादी लगभग 35 हजार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर थाना/टी०ओ०पी० स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*627. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत मैनाटांड़ प्रखंड के सकरौल और घोड़पकड़ी गाँव के कब्रिस्तान की चहारदीवारी अबतक नहीं हुई है, जिसके कारण अतिक्रमण और उससे जुड़े अन्य तरह के विवादों की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित कराना

*628. श्री आबिदुर रहमान (अररिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सदर अस्पताल के बगल में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया गया, परन्तु उसका संचालन अबतक नहीं हो सका है, जिसके कारण अल्पसंख्यक छात्रों का पठन-पाठन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास का संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । अररिया जिला के अररिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सदर अस्पताल के बगल में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया गया, परन्तु उक्त भूमि पर दीवानी वाद संख्या 296/2002 रघुनाथ भगत इत्यादि बनाम जिला परिषद्, अररिया अपर मुन्सिफ न्यायालय II अररिया में लंबित रहने के कारण अबतक छात्रावास का संचालन नहीं किया जा सका है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*629. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट अंतर्गत पंचायत तिवारी मटिहिनिया के गांव विजयपुर में बाबा विजय नाथ शिव मंदिर स्थापित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर न्यास बोर्ड के अंतर्गत निबंधन संख्या-4506/2019 से निबंधित हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मंदिर की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विधि व्यवस्था दुरूस्त कराना

*630. श्री जय प्रकाश यादव (नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित संपूर्ण प्रदेश में विधि व्यवस्था दुरूस्त रखने की दिशा में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है एवं पुलिस के कामकाज की साप्ताहिक समीक्षा का निर्णय लिया गया है जिससे क्षेत्र विशेष में दर्ज कांडों के अनुसंधान तथा स्पीडी ट्रायल की स्थिति की भीससमय समीक्षा हो ;

(2) क्या यह बात सही है कि नियमित रात्रि गश्ती और रोको टोको अभियान चलाने से अपराधियों को किसी भी वक्त पुलिस से सामना होने का डर बना रहता है, इसलिये वे बेखौफ होकर किसी भी अपराध को अंजाम नहीं दे सकते ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लापरवाह पुलिस कर्मियों को दंडित एवं निर्देशों पर अमल करने वालों को पुरस्कृत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*631. श्रीमती मंजु अग्रवाल (शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरूआ प्रखंड के गुरूआ थाना अंतर्गत राजन पंचायत के सगाही बाजार से गुरूआ थाना की दूरी लगभग 15 कि०मी० होने के कारण ग्राम सगाही बाजार में चोरी, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने में थाना प्रशासन को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजन पंचायत का सगाही बाजार गुरूआ थाना की अपेक्षा शेरघाटी थाना से ज्यादा नजदीक है (करीब 07 कि०मी०) ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार राजन पंचायत के सगाही बाजार को शेरघाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*632. श्री राजेश कुमार गुप्ता (सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-तिलौथु पूर्वी के वार्ड नं० 05 (तुतही पुल) में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*633. श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)--क्या मंत्री, निर्वाचन, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत बेलागंज विधान सभा क्षेत्र के एरकी गाँव के 1500 मतदाताओं का बूथ संख्या-144 से 10 किलो मीटर की दूरी पर बिरबलबिगहा में रहने के कारण बुजुर्ग एवं महिला मतदाताओं को अपना मतदान करने में काफी कठिनाई होती है, जिससे उक्त बूथ पर काफी कम मतदान प्रतिशत रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बूथ संख्या-144 बिरबलबिगहा को स्थानांतरित कर एरकी पंचायत के एरकी गांव में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक का शाखा खोलना

*634. श्री रणविजय साहू (मोरवा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत हलई बाजार में मात्र एक ग्रामीण बैंक अवस्थित है, जिससे किसानों और व्यापारियों को के0सी0सी0 का लाभ नहीं मिल पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हलई बाजार में एक भी व्यावसायिक बैंक की शाखा नहीं होने के कारण व्यापारियों, किसानों को व्यापारिक और कृषि लोन की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे उनमें काफी असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में हलई बाजार में किसी व्यावसायिक बैंक की शाखा स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इथेनॉल प्लांट लगाने

*635. श्रीमती गायत्री देवी (परिहार)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार विधान सभा अन्तर्गत परिहर एवं सोनवरसा प्रखण्ड में धान एवं मक्का की खेती बड़ी मात्रा में होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में धान एवं मक्का आधारित उद्योग नहीं होने की वजह से वहां के किसान एवं मजदूरों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में धान एवं मक्का आधारित इथेनॉल प्लान्ट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी बिहार का एक प्रमुख चावल उत्पादक जिला है, जिसके फलस्वरूप किसानों और संबंधित व्यवसाय के आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सीतामढ़ी जिला का मक्के का उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उत्पादन) में 9वाँ स्थान है।

(2) अंशत: स्वीकारात्मक।

(3) राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति में निहित प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

उक्त प्रखण्डों में धान एवं मक्का आधारित प्लान्ट लगाने हेतु निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्तमान में लागू नीति के तहत यथासम्भव सहायता प्रदान की जायेगी।

मतदान केंद्र की व्यवस्था

*636. श्री अरूण सिंह (काराकाट)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत 213, काराकाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड-काराकाट, पंचायत-देव के नई भूमि ग्राम में कुल मतदाता 500 से अधिक है तथा यहाँ सामुदायिक भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भी निर्मित है, परन्तु मतदाताओं को एक किलो मीटर की दूरी तय करके घरवासडीह एवं पहरमा में अपने मतदान का प्रयोग करने जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में ही मतदान केंद्र की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी करना

*637. श्री अचमित ऋषिदेव (रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पचीरा के राजस्व मौजा पचीरा में खाता नं0-289, खेसरा नं0-1034, रकबा-2 एकड़ 92 डिसमिल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*638. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (बैकुंठपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला बैकुंठपुर प्रखंड अन्तर्गत राजापट्टी में अभी तक कोई बैंक की शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैंक की शाखा नहीं होने के कारण वहाँ पर स्थापित औद्योगिक इकाई एवं दर्जनों पंचायत के व्यापारियों को वित्तीय लेन-देन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजापट्टी में एक राजकीय बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रखण्ड का निर्माण

*639. श्री नेहालउद्दीन (रफीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के प्रखंड रफीगंज में कुल-23 पंचायत है, जिसका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण रफीगंज के निवासियों को प्रखंड से संबंधित कार्य कराने हेतु काफी दूरी तय करनी पड़ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजादी के बाद से अभी तक कासमा क्षेत्र का चौमुखी विकास नहीं हो पाया है एवं नजरी नक्शा मौजूद होने एवं इस इलाके के विकास के मामले में पिछड़े होने के बावजूद इसे अलग प्रखण्ड नहीं बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत अरर्थुआ के कासमा को प्रखंड का दर्जा देकर रफीगंज प्रखंड से अलग प्रखंड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी कर्मी घोषित करना

*640. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं प्रोग्रामरों द्वारा राज्य के सभी विभागों के कम्प्यूटर संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त डाटा इंट्री आपरेटरों एवं प्रोग्रामरों को सरकारी कर्मी घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण के संबंध में

*641. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले दस वर्षों से लगातार मांग किये जाने के बावजूद जिला अतिथि गृह, मधुबनी में अतिरिक्त कमरे नहीं बनाये गये हैं जिसके कारण जिला में आये विशिष्ट अतिथितियों के आवासन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला अतिथि गृह, मधुबनी में कम-से-कम 20 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण का सूद माफ करना

*642. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 2008 से 2013 के बीच में किसानों को के0सी0सी0 का ऋण दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बैंक से किसानों द्वारा लिए गए ऋण के सूद एवं मूलधन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का सूद माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक। किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तीन शाखाओं (बहादुरगंज, गंगी, L.R.P चौक) से 2008 से 2013 के बीच 1825 किसानों को के0सी0सी0 का ऋण दिया गया था।

(2) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तीन शाखाओं (बहादुरगंज, गंगी, L.R.P चौक) से कुल 371 खाताओं में किसानों द्वारा 4.58 करोड़ ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जो Non Performing Asset (NPA) है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नियुक्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

*643. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत 1294 पदों पर बहाली के लिये प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (PT), मुख्य परीक्षा (Mains) और काउंसलिंग आयोग द्वारा संपन्न करवा ली गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जांच के बाद 1076 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया, फिर भी उनकी नियुक्ति अबतक नहीं हुई है जिससे वे हताश और निराश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 6 वर्षों से लंबित बहाली सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*644. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत ग्राम-चकमीदाद पो०-गोवास शेखपुरा थाना-पंडारक में सामूहिक नरसंहार पंडारक थाना कांड 8/2003, दिनांक 23 जनवरी, 2003 को हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी०डब्लू०एस०सी०एन०-6609/2020, दिनांक 30 जनवरी, 2024 का आदेशानुसार मृतक के आश्रितों को गृह विभाग से संकल्प सं० 25 सी, दिनांक 12 जनवरी, 2001 विशेष 25/सी कन्डिका क के अनुसार चतुर्थ वर्गीय नौकरी देने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सामूहिक नरसंहार में मारे गये जुगेश्वर महतो के आश्रितों को चतुर्थवर्गीय कर्मी की नौकरी देने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*645. श्री मनोज कुमार यादव (कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत पुरन छपरा बाजार चौक एक महत्वपूर्ण चौक है, यहां के स्थानीय लोगों को 12 कि०मी० की दूरी तय करके चकिया थाना जाना पड़ता है, जबकि पुरन छपरा में सरकारी भवन भी उपलब्ध है, जो थाना चौकी बनने की सभी शर्तें पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पुरन छपरा चौक पर पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कबिस्तान की घेराबंदी

*646. श्री महा नंद सिंह (अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कलेर प्रखंड के पुराकोठी गाँव के पुस्तकालय के बगल में कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी नहीं होने से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बूथ का स्थानान्तरण

*647. श्रीमती मीना कुमारी (बाबूबरही)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्रों के बाबूबरही प्रखंड के पंचायत बेला के गोविन्दपुर मुशहरी का बूथ 03 से 04 किलो मीटर दूर देवरा ग्राम में पड़ता है जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है साथ ही दूरी के कारण कई लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बूथ को गोविन्दपुर मुशहरी सामुदायिक भवन स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा प्रदान कराना

*648. श्री गोपाल रविदास (फुलवारी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दी बिहार स्टेट धुनिया रंगरेज दर्जी को-ओपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का गठन 2010 में किया गया है, जिसका उद्योग विभाग, बिहार सरकार से रजि० सं० 3560/95 ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसका पुणर्गठन अबतक नहीं हुआ है एवं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फेडरेशन को मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं सुविधाएँ सरकार ने रोक रखी हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फेडरेशन को पूर्ण गठित कर दर्जी, धुनिया एवं रंगरेज कामगारों को आर्थिक सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*649. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में गृहरक्षकों के संबंध में सी०डब्लू०जे०सी०नं० 11208/10, एल०पी०ए० नं० 313-2017 सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली में दायर एस०एल०पी० नं० 21841/2018 में दिये गये न्याय निर्णय ''समान काम का समान वेतन'' के आलोक में राज्य के गृहरक्षकों को आरक्षी पद के समान मूल वेतन 21,700 रु० एवं मात्र 7 प्रतिशत मंहागाई भत्ता के साथ गृह विभाग के पत्रांक 9989, दिनांक 6 नवम्बर, 2018 को 774-रु० प्रतिदिन के हिसाब से लागू किया गया है, जबकि आरक्षी को 50% मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य सरकार के गृहरक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली के उपर्युक्त न्याय निर्णय ''समान काम का समान वेतन'' के आलोक में गृह पुलिस आरक्षियों के सामान वेतन कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*650. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के ग्राम-मियां बिगहा स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण उक्त कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की शरणस्थली बनते जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*651. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन पंचायत-पुरन्दाह में दोघरिया कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने से मवेशी द्वारा कब्र को छिन्न-भिन्न एवं रास्ता आदि के कारण स्थानीय लोगों से झड़प होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात थाना का निर्माण

*652. श्री अशोक कुमार सिंह (रामगढ़, कैमूर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ विधान सभा अन्तर्गत मोहनियाँ बक्सर एन०एच० पर रामगढ़ बाजार में यातायात थाना नहीं होने से आये दिन जाम लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में यातायात थाना का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोर्ड का गठन

*653. श्री इसराईल मंसूरी (कांटी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कुम्हार, प्रजापति समाज के लोगों का अपनी परम्परागत व्यवस्था, जिसमें माटी से निर्मित चाक बर्तन खपड़ा, ईंट के साथ ही सनातन धर्म के देवी-देवताओं से जुड़े कलाकृतियों एवं उनके पूजन सामाग्रियों का निर्माण कर समाज मे अछुन्न स्थान प्राप्त है, किन्तु उनके व्यवसाय उत्थान हेतु सक्षम बोर्ड के गठन नहीं रहने के कारण उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं हो सका है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कुम्हार जाति के उत्थान हेतु माटी कला बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*654. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखंड के ग्राम-शमशेर नगर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*655. श्री फते बहादुर सिंह (डेहरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत अकोढ़ीगोला निवासी श्री प्रमोद विश्वकर्मा के पुत्र श्री रजनीश कुमार की हत्या करके दिनांक 17 मई, 2023 को शव को सीता बिगहा के नजदीक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त हत्याकाण्ड के विरुद्ध सासाराम (मु0) थाना में काण्ड संख्या 248/23 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि लगभग नौ माह बीत जाने के बाद उक्त हत्याकाण्ड में संलिप्त अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त हत्याकाण्ड में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर दण्ड दिलाने के साथ ही अधिकारियों के शिथिल रवैये के खिलाफ कार्रवाई कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*656. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत दुर्गापुर, चौकिया पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर पंचायतों में सरकारी बैंक नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दुर्गापुर में ग्रामीण बैंक या कोई सरकारी बैंक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*657. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 जनवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''साइबर अपराध दस बैंकों में सर्वाधिक संदिग्ध खाते'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की आर्थिक अपराध इकाई (ई0ओ0यू0) ने राज्य के दस संदिग्ध खाते वाले बैंकों पर कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक को पत्र दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी दस बैंकों में ज्यादातर प्राईवेट बैंक की शाखा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी दस सरकारी एवं प्राईवेट बैंक शाखाओं से साइबर अपराधी खाताधारक के निवास स्थान का पता लगाकर उनपर सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पोर्टल से जोड़ना

*658. श्रीमती शालिनी मिश्रा (केसरिया)--हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''केन केयर पोर्टल लॉन्च, ऑनलाइन होगा आवेदन'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु गन्ना विभाग द्वारा वर्ष 2024 में (ccs.bihar.gov.in) उक्त केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है एवं उक्त योजना के तहत केवल प्रमाणित गन्ना बीज क्रय एवं गन्ना यंत्रीकरण योजना के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु ccs.bihar.gov.in पर केन केयर पोर्टल में शामिल किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कार्बनिक उर्वरक (बॉयो-कम्पोस्ट), कीटनाशक रसायन, अंतरवर्ती खेती इत्यादि योजना को उक्त नहीं जोड़ा गया है, जिससे किसानों को अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गन्ना उद्योग विभाग के तहत संचालित सभी योजनाओं को कबतक केन केयर पोर्टल से जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*659. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के चौनी ग्राम पंचायत के बेरहो तथा गठोरा ग्राम पंचायत के गठोरा कब्रिस्तान के परिसर की घेराबंदी नहीं होने के कारण उक्त दोनों कब्रिस्तान पशुओं का चारागाह बने हुए हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों के परिसर की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा स्थापित कराना

*660. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के पचरौर बाजार एवं फरीदनपुर मठिया बाजार में एक भी व्यावसायिक बैंक की शाखा नहीं होने से क्षेत्र की जनता को बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उपर्युक्त स्थानों पर व्यावसायिक बैंक की शाखा कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्ज दिलाना

*661. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को समाचार-पत्र में छपी खबर शीर्षक ''बिहार के एक लाख में सिर्फ 9899 लोगों को ही मिला कर्ज'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के लोगों को अन्य राज्यों की तुलना में बैंक द्वारा कम कर्ज दिया जा रहा है, जबकि बिहार में जमा/कर्जा अनुपात 59 प्रतिशत है, बिहार के एक लाख लोगों में 9899 लोगों को ही कर्ज मिला है, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार 23वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या में दूसरा राष्ट्रीय औसत पर अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार के लोगों को 46 प्रतिशत कम कर्ज मिला है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार के लोगों को अन्य राज्यों की तर्ज पर कर्ज दिलाने हेतु कौन-सी कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । बिहार राज्य का जमा/कर्ज अनुपात 59 प्रतिशत के करीब यथा 58.59 प्रतिशत है । बिहार में पिछले वर्षों कि तुलना में जमा/कर्ज अनुपात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है । वर्ष 2021-22 में जहाँ बिहार राज्य का जमा/कर्ज अनुपात 52.96 प्रतिशत था वह अब बढ़कर दिसम्बर, 2024 में 58.59 प्रतिशत हो गया है ।

राज्य में कार्यरत 35 सदस्य बैंकों के 8213 शाखाओं के द्वारा राज्य के लोगों को बैंकिंग सुविधा और विभिन्न प्रकार का ऋण प्रदान किया जा रहा है । साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में भी ऋण वितरण का कार्य हो रहा है ।

दिसम्बर, 2024 की तिमाही तक राज्य में सभी सदस्य बैंकों के रिपोर्ट के अनुसार कुल 1.94 करोड़ लाभूकों के बीच कुल 3.03 लाख करोड़ रुपया की ऋण राशि बकाया (Outstanding) है । वर्ष 2024-25 में कुल वार्षिक साख लक्ष्य रुपया 3.23 लाख करोड़ के सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक रुपया 1.69 लाख करोड़ वितरित किये जा चुके है ।

इसके अलावा प्रखंड एवं जिलास्तर पर जिला सलाहकार समिति द्वारा और राज्य स्तर पर राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति तथा उप-समितियों की बैठकों में सरकार और हितधारकों के द्वारा विभिन्न मंचों पर समय-समय पर जमा/कर्ज अनुपात एवं अन्य वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है । इस क्रम में हितधारकों और बैंकों को अधिक ऋण वितरण हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश तथा अनुपालन हेतु आवश्यक कार्य बिन्दु निर्गत किये जाते हैं । इस दिशा में राज्य के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की उपलब्धियों की अलग से समीक्षा भी की जाती है एवं हितधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है । सरकार की सभी ऋण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा राज्य में अधिक-से-अधिक ऋण वितरण करते हुये जमा/अनुपात तथा वार्षिक साख की उपलब्धि बढ़ाने हेतु बैंकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । हाल में वित्त विभाग के ज्ञापांक 369A, दिनांक 24 फरवरी, 2025 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य साख समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति'' (SCRMC) का भी गठन किया गया है, जिसके द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*662. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के चोढ़दरगाह पंचायत के ग्राम-फुलचोढ़ एवं सनैया पंचायत के ग्राम-सनैया में मस्जिद के पास कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य नहीं कराया गया है, जिस कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 10 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 83(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025